तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रार्थना पत्र संख्या 113/2023 GCMS NO. 2023/343** **उनवानी जगमाल आदि बनाम मदन आदि** **अन्तर्गत धारा 111/128 एल.आर.एक्ट 1956**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.10.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित आये। बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। प्रार्थीगण के द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य[illegible] यह चाहा गया है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 18[illegible] 0.25 हेक्टेयर ग्राम मानोता की चारों सीमाओं की [illegible] (मार्किंग) करने की कृपा करें। अन्य अनुतोष जो उचित हो व मांग जाने से रहा गया हो बहक प्रार्थी आवेदक को दिलवाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 राजस्व ग्राम **मानोता कलां** पटवार हल्का मानोता कलां तहसील खेतडी खाता संख्या 10 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि खसरा नम्बर 185 रकबा 0.25 हेक्टेयर के प्रार्थीगण [illegible] खातेदार काश्तकार है। फर्द मौका सीमाज्ञान [illegible] द्वारा पटवारी हल्का मानोता कलां के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी विधिवत रूप से करवाया है तथा सीमाज्ञान आदेश दिनांक 0[illegible]04.2023 के अनुसार ही पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। परन्तु प्रार्थी ने खसरा नम्बर 185 की पथरगढी से प्रभावित पक्षकारों/काश्तकारों को उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के रूप में संयोजित नहीं किया है। लिहाजा प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। **आदेश** अतः प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **28.10.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (बन्शी धर योगी) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी खेतडी जिला नीमकाथाना (राज0) उपखण्ड अधिकारी. खेतडी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी जिला- नीमकाथाना (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.11.18 16:22:09 IST
Reason: SelfAttested